न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 99/2017 G.C.M.S. No. 2017/00319 दर्ज दिनांक : 15.12.2017

अपीलार्थी:

1. श्रीमती पानी पुत्री हुकमाराम पत्नी श्री जोराराम जाति सीरवी, उम्र 70 वर्ष, निवासी चण्डावल हाल अटबड़ा, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1 देवाराम पुत्र हुकमाराम, जाति सीरवी, निवासी चण्डावल, हाल साई बाबा ज्वेलर्स, दुकान नं. 2–6–42 सुभाष रोड, सदाशिव पेट, जिला मेडक (आन्ध्र प्रदेश)
2. किशनाराम उर्फ किशनलाल पुत्र हुकमाराम, जाति सीरवी. निवासी चण्डावल हाल बालाजी ज्वेलर्स मनी लैण्ड एण्ड ब्रोकर्स सोप संख्या 2–1–101 स्टेशन रोड़, जनगांव जिला वरगल (आन्ध्रप्रदेश)।
3. लच्छा पुत्र रावत
4. रावत पुत्र नेना
5. सुकड़ी पत्नी रहिंग
6. नानक पुत्र भाना
7. मंगीदेवी पत्नी देदा
8. हरदेव पुत्र भुरा
9. रामचन्द्र पुत्र चिमना
10. मांगीलाल पुत्र जोगाराम
11. मिश्रीलाल पुत्र जोगारा
12. पेमाराम पुत्र जोगाराम
13. देदाराम पुत्र शिवदान
14. गोमाराम पुत्र शिवदान
15. जीयाराम पुत्र शिवदान
16. छेला पुत्र नन्दा
17. भोमा पुत्र मुकनाराम
18. तेजाराम पुत्र मुकनाराम
19. सिणगारी पुत्र मुकनाराम
20. भंवरीदेवी पत्नी टिकमराम
21. भगवानराम पुत्र टिकमराम
22. प्रकाश पुत्र टिकमराम
23. 21, 22 की कुदरती वली माता भंवरीदेवी नं. 20
24. जेठाराम पुत्र लिखमा
25. घीसाराम पुत्र लिखमा
26. रूगाराम पुत्र लिखमा
27. खींवाराम पुत्र लिखमा
28. तिजाई पत्नी लिखमा
29. हेमा पुत्र हुक्का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

30. रत्ना पुत्र हुक्का
31. पुना पुत्र हुक्का
32. मोहन पुत्र हुक्का
33. जसा पुत्र वेणा
34. घेवरराम पुत्र तेजाराम
35. चौथी पत्नी तेजाराम के कायम मुकाम–
35/1 घेवरराम पुत्र तेजाराम
35/2 कुकी उर्फ भंवरी पुत्री तेजाराम
35/3 माण्डीदेवी पुत्री तेजाराम
35/4 लीला पुत्री तेजाराम, जातियान सीरवी, निवासीगण चण्डावल तहसील सोजत।
36. घीसा पुत्र हीरा
37. घेवरराम पुत्र तेजाराम
38. भोमाराम पुत्र तुलछा
39. नारायण पुत्र तुलछा
40. चुनकी पत्नी तुलछा के कायम मुकाम–
40/1 नारायण पुत्र तुलछा
40/2 भोमा पुत्र तुलछा
40/3 दाखुदेवी पुत्री तुलछा
40/4 गीतादेवी पुत्री तुलछा
40/5 कुकीदेवी पुत्री तुलछा
40/6 विद्यादेवी पुत्री तुलछा
41. टिकम पुत्र पुखाराम
42. कानाराम पुत्र पुखाराम
43. जसकी पत्नी देवाराम, जातियान सीरवी
44. रामचन्द्र पुत्र मंगलाराम जाति माली
45. जोगाराम पुत्र पुखाराम
46. रतनाराम पुत्र नेना
47. जीता पुत्र नेना
48. रूपाराम पुत्र जेरूप
49. कानाराम पुत्र जेरूप
50. नेमा पुत्र मगा
51. घेवर पुत्र मगा
52. हीगली पत्नी मगा
53. रतना पुत्र गुणेश, जातियान सीरवी
54. नाथुराम पुत्र काना
55. रामलाल पुत्र काना
56. बस्तीमल पुत्र काना
57. पानी पत्नी काना, जातियान घांची
58. समदुडी पत्नी मोटा, जाति सीरवी
59. सिकन्दर अली पुत्र मदार बक्ष उर्फ बाबु बक्ष
60. शैकत अली पुत्र मदार बक्ष उर्फ बाबु बक्ष
61. लियाकत अली पुत्र मदार बक्ष उर्फ बाबु बक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

62. मोहम्मद शरीफ पुत्र मदार बक्ष उर्फ बाबु बक्ष
63. मोहम्मद आरीफ पुत्र मदार बक्ष उर्फ बाबु बक्ष
64. मु. जन्नत अली पत्नी मदार बक्ष उर्फ बाबु बक्ष के कायम मुकाम–
64/1 सिकन्दर अली पुत्र मदार बक्ष उर्फ बाबु बक्ष
64/2 शौकत अली पुत्र मदार बक्ष उर्फ बाबु बक्ष
64/3 लियाकत अली पुत्र मदार बक्ष उर्फ बाबु बक्ष
64/4 मोहम्मद शरीफ पुत्र मदार बक्ष उर्फ बाबु बक्ष
64/5 मोहम्मद आरीफ पुत्र मदार बक्ष उर्फ बाबु बक्ष
64/6 सतारा पुत्री मदार बक्ष उर्फ बाबु बक्ष
64/7 कंचन पुत्री मदार बक्ष उर्फ बाबु बक्ष
64/8 मुनिया पुत्री मदार बक्ष उर्फ बाबु बक्ष जातियान मुसलमान, निवासीगण चण्डावल तहसील सोजत, जिला पाली। (रेस्पोंडेंट संख्या 3 लगायत 64 तक तर्क)
65. तहसीलदार सोजत, जिला पाली (राज.)।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 91/2011 बअनवान पानीदेवी बनाम देवाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2016 संशोधित निर्णय दिनांक 04.10.2017

पैरोकार–

1. श्री श्याम पंचारिया, श्री राधाकिशन चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शंकरलाल गहलोत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांकः 27.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 91/2011 बअनवान पानीदेवी बनाम देवाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2016 संशोधित निर्णय दिनांक 04.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम चण्डावल, छितरिया एवं गुडा बच्छराज में स्थित वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत कर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि विधिविरूद्ध है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार हुकमा उर्फ हुक्का पुत्र धुलारामजी की जायंदा पुत्री होने से वादग्रस्त भूमि ग्राम चण्डावल में 1/3 हिस्से की भूमि में रेकर्डेड खातेदार, काश्तकार घोषित किये जाने योग्य थीं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथा निर्णय दिनांक 04.10.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

17 विधिवत् साक्ष्य के विरूद्ध पारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित था कि वादग्रस्त भूमि हुकमा उर्फ हुक्का पुत्र धुलाराम की खातेदारी की थी जिसकी भूमि में अपीलान्ट वादी का नाम जानबूझकर दर्ज नहीं किया गया तथा उसको वैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया। वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 362 के खसरा नम्बर 1710 व 1771 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में हुकमा उर्फ हुक्का पुत्र धुलाराम का नाम दर्ज होते हुए एवं उसके फौतेदगी के पश्चात् उनके वारिसान का नाम दर्ज था। उक्त वादी अपीलान्ट के हिस्से की भूमि साक्ष्य अनुसार खातेदारी प्रदान किये जाने योग्य थीं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय को उक्त भूमि के संबंध में आवश्यक ध्यान दिलाये जाने के बावजूद उक्त दोनों खसरा की भूमि में खातेदारी अधिकार जानबूझकर दर्ज नहीं किया गया तथा ग्राम चण्डावल में स्थित भूमि की खातेदारी घोषणा माफिक राजस्व रेकर्ड घोषित किये जाने के बावजूद एवं उक्त भूमि में चौथीदेवी पत्नी हुक्माराम का नाम दर्ज होते हुए उसके हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषणा अपीलान्ट वादी के पक्ष में दर्ज नहीं कर एवं पालना नहीं कर निर्णय व डिक्री की गंभीर अवहेलना की गई। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पत्र दिनांक 13.07.16 तैयार किया जो अपीलांट वादी को बिना किसी प्रकार के सूचित किये एवं ऐसे निर्णय व डिक्री की पालना की जानकारी कराये बिना पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम चण्डावल के वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 361, 362 व 364 की भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा की डिक्री पारित होने के बावजूद हल्का पटवारी द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से पूर्व राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना वर्तमान राजस्व रेकर्ड के आधार पर निर्णय एवं डिक्री की पालना नहीं की गई जबकि वादग्रस्त भूमि ग्राम चण्डावल के खाता नम्बर 364 की भूमि के संबंध में अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में धारा 152 सीपीसी का विस्तृत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 362 जिसके वर्तमान खाता संख्या 260 उक्त भूमि में हुकमा उर्फ हुक्का पुत्र धुलाराम रेकर्डेड खातेदार काश्तकार थें, जिसमें उनके पुत्र देवा व पत्नी चौथी का नाम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में एवं साक्ष्य से चौथीदेवी का स्वर्गवास होने से एवं उक्त भूमि में खातेदारी घोषणा होने के बावजूद अपीलांट वादी का उक्त भूमि में जानबूझकर नाम दर्ज नहीं किया और हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई पालना नहीं करवाई गई। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर वादी अपलांट को वादग्रस्त भूमि में हुकमाजी के 2/9 हिस्से में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की जावें। यदि उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन हुआ हो तो ऐसे परिवर्तन को दुरूस्त कर निर्णय व डिक्री की पालना की जावें। वादग्रस्त भूमि के खाता संख्या 364 जिसके वर्तमान खाता संख्या 396 है। उक्त भूमि भी हुकमा उर्फ हुक्का पुत्र धुलाराम की कब्जा काश्त की भूमि है। उक्त भूमि में चौथीदेवी पत्नी हुकमा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसकी जमाबन्दी प्रदर्श की गई। उक्त भूमि में हुकमाजी का 1/18 वां हिस्सा होने से व हुकमाजी की पत्नी चौथीदेवी का स्वर्गवास होने से उनकी भूमि में वादी अपीलांट 1/3 तथा हुकमाजी के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 देवाराम व किशनाराम उर्फ किशनलाल प्रत्येक तीनों 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार को काश्तकार घोषित किये जाने योग्य है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड व साक्ष्य से उक्त भूमि की खातेदारी घोषणा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये जाने योग्य थीं। उक्त निर्णय व डिक्री में खाता नम्बर 384 के संबंध में धारा 152 सीपीसी का आवेदन पेश किये जाने के बावजूद एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार देवाराम व किशनाराम प्रतिवादी ने अपनी भूमि राजेन्द्र पुत्र चौनाराम जाट को वाद प्रस्तुति के बाद बेचान की गई जो बेचान वादी के अधिकारों के विरूद्ध विधिशून्य दस्तावेज है जो भूमि उनके हिस्से से कम कर व चौथीदेवी का 1/18 वां हिस्सा में वादी अपीलांट का हिस्सा दर्ज किया जाना था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के बावजूद निर्णय दिनांक 04.10.17 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के खाता संख्या 361 में दर्ज खसरा की भूमि अपीलाधीन निर्णय में दर्ज नहीं होने से उसे शुद्धि करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो निर्णय के पेज संख्या तीन में खसरा नम्बर 1839 के बाद 1840 व 1841 जो निर्णय के पेज संख्या 4 की पंक्ति संख्या 8 एवं निर्णय के पेज संख्या 5 में खसरा नम्बर 1881 तथा पेज संख्या 5 के पेरा में पंक्ति 24 में खसरा नम्बर 762 जो त्रुटिवश निर्णय में टकण की त्रुटि से से दर्ज होना शेष रह गया। इस कारण उक्त लिपिकीय भूल को संशोधित करते हुए निर्णय दिनांक 04.10.17 पारित किया। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री ग्राम चण्डावल की भूमि बाबत् निरस्त की जाकर ग्राम चण्डावल की वादग्रस्त भूमि के खाता संख्या 361, 362 व 364 की भूमि में वादी अपीलांट की खातेदारी घोषणा उसे हिस्से अनुसार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री वादग्रस्त भूमि जो वाद में ग्राम चण्डावल के खाता संख्या 361, 362, 363 व 364 की भूमि दर्ज है। उक्त भूमि की खातेदारी घोषणा हेतु वाद पद संख्या दो में वर्णित हिस्से अनुसार वादी ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जाने के बावजूद स्वर्गीय हुकमा उर्फ हुक्का पुत्र धुलाराम की भूमि में वादी अपीलांट को उसकी माता चौथीदेवी का स्वर्गवास हो जाने पर वादी व हुकमाजी के दोनों पुत्र देवाराम व किशनलाल प्रत्येक 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार होते हुए एवं उक्त भूमि में खातेदारी घोषणा वादी अपीलांट के पक्ष में पारित किये जाने योग्य होते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पारित डिक्री के पश्चात् पालना हेतु हल्का पटवारी को व तहसीलदार को प्रेषित की गई जो पालना रिपोर्ट दिनांक 13.07.16 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किये जाने के पश्चात वादी अपीलांट ने धारा 152 सीपीसी का आवेदन तत्काल दिनांक 20.07.16 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज नहीं कर पुनः निर्णय व डिक्री पारित नहीं करने में गंभीर भूल की तथा वादी अपीलांट के आवेदन धारा 152 सीपीसी दिनांक 20.07.16 पर कोई विधिसंगत निर्णय तत्काल पारित नहीं कर उसमें गंभीर त्रुटि की। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कई बार वादी अपीलांट अधिवक्ता द्वारा निवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट अधिवक्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा वाद में प्रस्तुत साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए पुनः निर्णय दिनांक 04.10.17 पारित किया, जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 27.10.17 को होने पर तत्काल अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकलें प्राप्त कर यह अपील श्रीमान् न्यायालय में तत्काल अन्दर अवधि प्रस्तत की जा रही हैं। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.16 के विरूद्ध अपील अवधि पार प्रस्तुत है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13.07.16 के विरूद्ध वादी अपीलांट की ओर से दिनांक 20.07.16 को धारा 152 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उस पर कोई संशोधित निर्णय व डिक्री पारित नहीं की तथा दिनांक 04.10.17 को निर्णय पारित किया, जिसकी जानकारी दिनांक से यह अपील अन्दर अवधि पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादिया द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2016 संशोधित निर्णय दिनांक 04.10.2017 पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सारवान रूप से तीन विवाद्यक कायम कर साक्ष्य उपरांत विवाद्यकवार निर्णयन व विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वादिया अपीलांट का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात ग्राम चण्डावल के खसरा संख्या 1839, 1840, 1841, 1842, 1859, 1860, 1861, 1862, 1866, 1880, 1881, 1886, 1888, 1889, 137, 143, 1067, 757, 758, 759, 760, 761, 762 में देवा पुत्र हुकमा, चौथी बेवा हुकमा, किसना पुत्र हुकमा के साथ पानीदेवी पुत्री हुकमा को बहिस्सा बराबर तथा ग्राम गुड़ा बच्छराज के खसरा संख्या 203, 204, 205 की आराजी में हुका पुत्र धुला की भूमि में पानीदेवी पुत्री हुकमा को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए शेष प्रविष्टियां बदस्तूर रखी गई। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम चण्डावल के खाता संख्या 361, 362, 363 व 364 की भूमि में अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के पिता हुकमा उर्फ हुका पुत्र धुलाजी के विधिक वारिस होने से अपीलांट व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए संशोधित निर्णय व डिक्री पारित की जावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र का खण्डन किया गया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में केवल वादपत्र के आधार पर विवाद्यक कायम किए गए तथा सभी विवाद्यक केवल वादिया के जिम्मे रखे गए। अतः स्पष्ट है कि केवल वादपत्र के आधार पर विवाद्यक कायम किए गए। जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक कायम नहीं किया जाना स्पष्ट है। जबकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 14 में यह स्पष्ट व आज्ञापक प्रावधान है कि वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर ऐसे प्रत्येक विषय पर जिससे एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात किया जाए व दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात किया जाए, ऐसी हरएक तात्विक प्रतिपादना पर एक सुभिन्न विवाद्यक कायम किया जाए। इसी प्रकार आदेश 14 नियम 03 में यह प्रावधान है कि वह सामग्री जिससे विवाद्यकों की विरचना की जा सकेगी के अंतर्गत (क). पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से उपस्थित किन्हीं व्यक्तियों द्वारा या ऐसे पक्षकारों के प्लीडरों द्वारा शपथ पत्रों पर किए गए अभिकथने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

(ख). अभिवचनों या वाद में परिदत्त परिप्रश्नों के उत्तरों में किए गए अभिकथन (ग). दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा पेश की गई दस्तावेजों की अंतर्वस्तु। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत होने तथा जवाबदावा द्वारा वादपत्र का स्पष्ट खण्डन अभिलेख पर होने के बावजूद इस संबंध में कोई विवाद्यक कायम नहीं कर कानूनन भूल की हैं। लेकिन चूंकि उक्त बिंदु के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की गई हैं। हस्तगत अपील वादिया द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। तथा हस्तगत अपील स्तर पर संशोधित निर्णय व डिक्री की मांग की गई हैं। जो हमारे विनम्र मत में स्वीकार योग्य नहीं हैं। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वस्तुतः उपर वर्णित आज्ञापक, प्रक्रियागत प्रावधानों का विचलन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः इस स्तर पर वादिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र के अनुरूप संशोधित निर्णय या डिक्री पारित किया जाना विधिसंगत व उचित नहीं होगा।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 91/2011 बअनवान पानीदेवी बनाम देवाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2016 संशोधित निर्णय दिनांक 04.10.2017 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर [illegible])
राजस्व अपील अधिकारी, पाली